

(11)

119

न्यायालय समझौता राजस्व मण्डल नवालियर म0प्र० सर्किल कोटि रीबा ₹५०प्र०



R-481-I/2012

१। शपथमुन्दर पिता श्री हीरालाल जाहू

२। छोटेलाल पिता हीरालाल जाहू दोनों निवासी गाम ७ टुकड़ा तहजील

व जिला पिण्डी रौती म0प्र०

=====किंगरामीकरण/अधिकारक

बनाम

३। संत बालेश्वर पिता रामलाल तिवारी

४। संत बालेश्वर पिता रामलाल तिवारी

दोनों निवासी ग्राम गढ़हरा तहजील व जिला झिरौती म0प्र०

=====किंगरामीकरण

किंग रामी विराजादेश व निर्णय शीमान

क्लेक्टर महोदय, जिला झिरौती म0प्र० के प्रकरण
क्रमांक - ५१/किंगरामी/११-१२ अदिशा दिनांक

26.12.2011

किंग रामी अन्तर्गत धारा- ५० म0प्र० भूमरातोंहित
१९५९ ई०.

मान्यवर,

किंगरामी के तथ्य निम्न है:-

१। वहकि आरामी खसरा क्रमांक २९४ रकवा ०.०२३, ३३६ रकवा ०.१४, ३३७
रकवा ०.१३, ३४५ रकवा ०.१९, ४९५ रकवा ०.३०, ४९६/१ रकवा ०.४६, १७१/३
रकवा ०.१० स० २६५/२ रकवा ०.१५४०, ३२४ रकवा ०.१३, ३२६ रकवा ०.१३
३३६ रकवा ०.१४, ३३७ रकवा ०.१३, ३४५ रकवा ०.१९ ४९५/२ रकवा ०.३०

४९६/१ रकवा ०.४६ १७१/३ रकवा ०.१०, २६५/२ रकवा ०.१५ ३२४ रकवा
०.१३, ३३० रकवा ०.१३, ३३२/०.१२, ३३४ रकवा ०.१५४३४ ३३६/२ रकवा ०.१०
३३५/०.१५, ३३८ रकवा ०.३२, ४४९/१ रकवा ०.१५ है ३३२ रकवा ०.१२,
५०००००० कुल कित २५ स्थित ग्राम गढ़हरा तहजील लिए रौती म0प्र० रामी

Arun Aul

2..पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-481-I / 12

जिला-सिंगरौली

श्याम सुन्दर साहू/संत ज्ञानेश्वर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरुण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 51/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	 (बी.एम.शर्मा), सदस्य